



**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI-110 114.**

No.21-21/2010-CDN

Dated the 16th June, 2010

ENDORSEMENT

The Govt. of India, Ministry of Defence has issued letter No.2-6/2010-D (Ceremonials) dated 23.4.2010 regarding Independence Day Flag Hoisting Ceremony at Red Fort on 15th August, 2010 – Issue of invitations. The above mentioned letter is being uploaded on the ICAR Web-Site www.icar.org.in for information and further guidance.

Yours faithfully,

(VIVEK PURWAR)
Under Secretary (GAC)

Copy to :-

1. OSD to DG/PPS to Secy., ICAR.
2. Chairman ASRB/ND, NAIP/Director(DIPA), Pusa, New Delhi.
3. Director(Per.)/ Director(Fin.)/DS (A)/DS (GAC), ICAR.
4. ADG (PIM)/ADG (CDN)/Proj. Dir. (DIPA).
5. All officers / sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB – I & II.
6. Secy (Staff Side) HJSC, ICAR, Krishi Bhawan.
7. Secy., (Staff Side), CJSC, ICAR, KAB-I, Pusa, New Delhi – 12.
- ✓ 8. Shri Hans Raj, ISO, (DIPA) KAB-I for putting in the ICAR Web – Site.
9. Guard file/Spare copies (10).

2

MOST IMMEDIATE

**No.2(6)/2010/D(Ceremonials)
Government of India
Ministry of Defence**

1, South Block, New Delhi,
the 23rd April, 2010

To

Secretary to the President
Secretary to the Vice-President
Secretary to the Prime Minister
Secretary(Coord), Cabinet Secretariat
Secretary General, Rajya Sabha Sectt.
Secretary General, Lok Sabha Sectt
Secretaries, All Ministries/Departments of the Govt. of India
Member Secretary, Planning Commission
Secretary, Election Commission of India
Secretary General, National Human Rights Commission
Secretary, Union Public Service Commission
Secretary, Central Vigilance Commission
Secretary, Central Information Commission
Registrar, University Grants Commission
Registrar (Admin), Supreme Court of India
Registrar (Admin), High Court of Delhi
Deputy Comptroller & Auditor General of India
Deputy National Security Adviser (Sardar Patel Bhavan III Floor)

**Subject : Independence Day Flag Hoisting Ceremony at Red Fort on
15th August, 2010 – Issue of invitations.**

Sir/Madam,

The invitations for the forthcoming Independence Day Flag Hoisting Ceremony at Red Fort on 15th August, 2010 will be issued on the last year's pattern. It is requested that the names of officers of the status of Under Secretaries and above and of officers of equivalent status in their offices and in the Attached and Subordinate Offices, Commissions, Public Sector Undertakings, Autonomous bodies etc. under their administrative control, located in Delhi, may please be furnished to this Ministry (in both Hindi and English) in quadruplicate as per the attached proforma latest by 15th June, 2010. Separate lists, duly arranged in alphabetical order, may please be sent for each category of officers, viz., Under Secretary, Deputy Secretary/Director, Joint Secretary, Additional Secretary, Secretary and equivalents. Indication regarding the date of entry into the Article in the Warrant of Precedence in respect of Officers of the rank of Secretaries and above

Contd.

-2-

may invariably be given. The lists in respect of the officers of Attached/Subordinate Offices/Public Sector Undertakings etc. may be checked and consolidated by the Administrative Ministry concerned and forwarded in one lot.

2. The invitation cards are issued/seating arrangements are made on the basis of the person holding rank in the Table of Precedence issued by Ministry of Home Affairs. Therefore, details of Dignitaries/Officers holding a rank in Table of Precedence (down to Article 23) may also be furnished to Ministry of Home Affairs (Public Section) for inclusion in the list of Dignitaries/officers, as per their place in the Table of Precedence, which will be the base for making seating arrangements. It may not be possible to provide appropriate seat in the absence of name(s) of dignitaries/officers in the authenticated list issued by MHA for the purpose.

3. If Officers below the rank of Under Secretaries are desirous of witnessing this ceremony, separate lists containing particulars of such officials may also be sent to this Ministry. Such requests will be accommodated subject to availability of seats.

4. It is possible that some important officials and non-officials connected with the work relating to the Ministry may be visiting Delhi at the time of the Independence Day. Names of such officials, who are desirous of witnessing the ceremony, may also be intimated as soon as possible. Information about their status vis-à-vis the Secretary, Joint Secretary etc. of the Department and also whether they would be accompanied by their spouses may also please be sent. The requests for such guests will be considered subject to availability of seats in appropriate enclosures.

5. It has been observed in the past that supplementary lists are received from Ministries and other offices. Some of these lists do not contain all the information required by this Ministry, which causes avoidable delay and inconvenience. It is, therefore, requested that wherever required supplementary lists in Hindi & English with complete information as per the prescribed proforma should be furnished to this Ministry in one single lot before 30th June, 2010 positively. This Ministry may find it difficult to take any action on the lists received subsequent to this date or received with incomplete information.

6. All the Ministries/Departments of Government of India are also requested to furnish the names of Chairpersons and Members of Commissions/Committees, if any, and officials connected therewith functioning in the respective Ministry/Department to enable this Ministry to issue invitation cards for the proper enclosures commensurate with the status of the invitees(s).

7. It is requested that a nodal officer may be nominated by each Ministry, attached/subordinate office and PSU and his name along with office and residential addresses and phone number may also be sent to this Ministry. All requests for invitation cards in respect of officials of Ministry, attached/subordinate office and PSU or for their guests etc., should be sent through such nodal officer. All officials

Contd...

-3-

in the Ministry, attached/subordinate office, PSU etc. may be suitably addressed accordingly. All cards pertaining to the Ministry, attached/subordinate office, PSU etc shall be delivered to the nodal officer.

8 For queries, if any, please contact D(Ceremonials), Ministry of Defence at telephone No. 2301 2904 or 2301 6547.

Yours faithfully,



(UPAMANYU CHATTERJEE)

Joint Secretary to the Govt. of India

Tele: 2301 8201

Copy to:

- | | |
|--|---|
| D(Est.I/GpI) | - For necessary action in respect of officers of the Ministry of Defence Sectt. including Deptt. of Def. Prod. |
| Ministry of Defence (Fin) | - In respect of officers of the Defence (Finance Divn.) |
| Armed Forces Tribunal
D-II Wg, GF, Sena Bhawan. | - For necessary action in respect of officers in its offices located in Delhi/New Delhi. |
| CAO(Coord) | - For necessary action in respect of civilian officers of Service HQrs. and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. |
| Army HQrs/AG(CW-1) | } For necessary action in regard to Service Officers of lower formation located in Delhi/New Delhi |
| Naval HQrs/DDPS(Cer) | |
| Air HQrs/Org(Cer) | |
| HQrs/IDS | |
| Dte. of P&C, DRDO | - In respect of officers of DRDO |

Copy also to:

- | | | |
|---|--|---|
| DPI.(Defence) | DG(Coast Guard)
National Stadium, New Delhi. | DGBR,
Seema Sadak Bhavan,
Naraina, New Delhi. |
| DG/AFMS, 15, M-Block,
New Delhi. | DGQA, H-Block,
New Delhi | School of Foreign Languages
25, Lodhi Estate, New Delhi. |
| National Defence College,
NDC House, Thees Jan. Marg | DG, NCC WB-IV,
RK Puram. | Defence Exhibition
Organisation |
| Joint Cipher Bureau,
Metcalf House, Timarpur. | Kendriya Sainik Board,
WB-IV,(WG.5), RK Puram | Historical Section, MOD
WB-VIII, RK Puram |
| Defence Plg. Staff,
256th, South Block | IDSA Institute of Defence
Studies & Analysis | Coord Section,
DG, Defence Estates |
| AFFSD,
56, II-Block | Security Office,
MOD, H-Block. | CGDA,
WB-V, RK Puram |
| Dte of Planning and
Coordination, H-Block | Defence Institute of Fire
Research Metcalfe House,
Probyn Rd, Timarpur | DG, Resettlement,
WB-IV, WG1, RK Puram |
| Radar Communication
Project Office | OSD(Invitation). | |

PROFORMA

(In respect of Under Secretaries and above)
(To be furnished in quadruplicate)

Ministry/Deptt. Full address & location of office

Office

Designation	Name	Date of continuous appointment in the grade (*) & place in the TOP(Article No.)	Revised Pay Band	Pay in the Pay Band	Grade pay	Official address showing the place of posting	Married/ Unmarried	Residential Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(*) This is required in respect of officers of the rank of Secretaries to the Govt. of India, their equivalent and above. The details of such persons, i.e., name, designation, scale of pay/pay, Article No. and date of entry into the article of Table of Precedence may please also be furnished to MHA(Public Section) simultaneously to enable them to issue authenticated list of persons as per their position in the Table of Precedence, which will be the base for making seating arrangements.

Signature of the officer forwarding the list.

Name (In Block letters):.....

Designation:.....

Tel.No. (Office)..... (Res).....

Appendix 'E'**PROFORMA**

(In respect of Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies located in Delhi)
(To be furnished in quadruplicate)

Ministry/Deptt. Full address & location of office

Office

Name	Designation	Revised Pay Band	Pay in the Pay Band	Grade pay	Status of officer as equivalent to officers in the Administrative Ministry concerned.	Official address showing the place of posting	Married/ Unmarried	Residential Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

"Certified that the status of officers indicated in Col.6 is correct"

(Seal & Signature of Dy. Secy.
in the Administrative Ministry/Deptt. concerned.)
Tele:

Signature of the officer forwarding the list.

Name (in Block letters):

Designation:

Tel.No. (Office)..... (Res).....

PROFORMA

(In respect of Chairman, Members and officials concerned with Commission)
(To be furnished in quadruplicate)

Ministry/Deptt. Full address & location of office

Office

Name	Designation	Date of continuous appointment in the grade(*)	Revised Pay Band	Pay in the Pay Band	Grade pay	Status of officer as equivalent to officers in the Admin. Ministry concerned	Whether figuring in the Table of Precedence
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Note: In case a person held a rank in the Table of Precedence at any time, the position held by him together, with the rank and the period may also be indicated in column (9).

(*) This is required only in respect of officers of the rank of Addl. Secy. & above.
"Certified that the status of officers as indicated in Col.No.8 is correct"

Signature of

Name (In Block)

Designation

Tel.No. (Office)

(Seal & Signature of Dy. Secy.
in the Administrative Ministry/Deptt. concerned.)
Tele:

भाति निर्माण पत्र जारी किए जायेंगे। अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालयों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, कमीशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदी जो दिल्ली में हैं, के अवर सचिव और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारियों तथा उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों के नाम (अंग्रेजी और हिन्दी में) संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार चा प्रतियों में 15 जून, 2010 तक इस मंत्रालय को भेज दें। अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी जैसे अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव और समकक्ष की विधियत रूप से वर्णक्रमानुसार अलग-अलग सूचिय भेजें। सचिव और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों के संबंध में 'टेबल ऑफ प्रेसिडेंस' के अनुच्छेद में प्रविष्टि की

जारी.....

PROFORMA

(In respect of President/Secretaries of Staff Councils)
(To be furnished in quadruplicate)

Ministry/Deptt. Full address & location of office

Office

Name & Designation	Post held in the Staff Council	Married/ Unmarried	Residential Address
(1)	(2)	(3)	(4)

Signature of the officer forwarding the list.

Name (In Block letters):

Designation:

Tel.No. (Office)..... (Res).....

अति तत्काल**संख्या 2(6)/2010/रक्षा (समारोह)****भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय,****1, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 23 अप्रैल, 2010**

सेवा में

राष्ट्रपति के सचिव
 उप राष्ट्रपति के सचिव
 प्रधान मंत्री के सचिव
 सचिव(समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय
 महासचिव, राज्य सभा सचिवालय
 महासचिव, लोक सभा सचिवालय
 सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
 सदस्य सचिव, योजना आयोग
 सचिव, भारतीय निर्वाचन आयोग
 महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग
 सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
 पंजीयक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 पंजीयक(प्रशा), भारत के सर्वोच्च न्यायालय
 पंजीयक(प्रशा), दिल्ली उच्च न्यायालय
 भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
 राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार

विषय : 15 अगस्त, 2010 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह - निमंत्रण पत्र जारी करने के बारे में।

महोदय /महोदया,

15 अगस्त, 2010 को लाल किले पर आगामी स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह के लिए पिछले वर्ष की भांति निमंत्रण पत्र जारी किए जायेंगे। अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालयों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, कमीशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदी जो दिल्ली में हैं, के अवर सचिव और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारियों तथा उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों के नाम (अंग्रेजी और हिन्दी में) संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार चार प्रतियों में 15 जून, 2010 तक इस मंत्रालय को भेज दें। अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी जैसे अवर सचिव, उप सचिव / निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव और समकक्ष की विधियत रूप से वर्णक्रमानुसार अलग-अलग सूचियां भेजें। सचिव और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों के संबंध में 'टेबल ओफ प्रेसिडेंस' के अनुच्छेद में प्रविष्टि की

जारी.....

-2-

तारीख का अवश्य उल्लेख करें। संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदी के अधिकारियों के नामों की सूचियों की जांच और उन्हें समेकित करने के कार्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाए तथा ये सूचियां एक ही बार में भेजी जाए।

2. गृह मंत्रालय द्वारा जारी वरीयता सारिणी में व्यक्ती के स्थान के आधार पर निमंत्रण-पत्र जारी किए जाते हैं / बैठने की व्यवस्था की जाती है। अतः वरीयता सारिणी (अनुच्छेद 23 और उसे आगे) में स्थान पाने वाले गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों का ब्योरा, वरीयता सारिणी में उनके स्थान के अनुसार, गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों के सूची में शामिल किये जाने के लिये गृह मंत्रालय (लोक अनुभाग) को भेजे जाये जो बैठने की व्यवस्था करने का आधार होगा। इस प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिप्रमाणित सूची में गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों के नाम ना होने पर उन्हें समुचित स्थान पर बैठाना सम्भव नहीं होगा।

3. यदि अवर सचिव के निचले रैंकों के अधिकारी इस समारोह को देखने के इच्छुक हों तो ऐसे अधिकारियों के ब्योरे की सूचियां अलग से भेजी जा सकती हैं। सीटों के उपलब्ध होने पर ही ऐसे अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

4. संभव है कि स्वतंत्रता दिवस के समय आपके मंत्रालय के कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ती दिल्ली के दौरे पर हों। उनमें से जो भी यह समारोह देखने के इच्छुक हों, उनके नामों की सूची तथा उनके स्तरों से संबंधित सूचना अर्थात् विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव की तुलना में, तथा इस बात की सूचना कि क्या वे अपनी पत्नी / पति के साथ आएंगे, भी भेजी जाए। ऐसे मेहमानों के लिए अनुरोधों पर उपयुक्त बाडों में सीटों के उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा।

5. विगत में यह देखा गया है कि मंत्रालयों और अन्य कार्यालयों से अनुपूरक सूचियां प्राप्त होती हैं। इस सूचियों में से कुछ में इस मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संपूर्ण सूचना नहीं होती जिससे अनावश्यक विलंब और असुविधा होती है। इस लिये यह अनुरोध है कि जहां भी अपेक्षित हो इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अपेक्षित पूर्ण सूचना सहित अंग्रेजी और हिन्दी की अनुपूरक सूचियां एक ही बार में हर हालत में 30 जून, 2010 से पहले इस मंत्रालय को भेज दी जाए। इस मंत्रालय के लिए उन सूचियों पर कार्रवाई करना कठिन होगा, जो निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होंगी या जिसमें अपूर्ण सूचना होगी।

6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग से संबंधित आयोगों/समितियों, यदि कोई हो, के अध्यक्ष और सदस्यों, तथा उनमें कार्यरत अधिकारियों के नाम भी भेजें ताकि यह मंत्रालय उनके स्तर के अनुरूप उन्हें समुचित बाडों के लिये निमंत्रण पत्र जारी कर सकें।

7. अनुरोध है कि प्रत्येक मंत्रालय, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदी द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाए और इस मंत्रालय को उनके कार्यालय तथा आवासीय पते और दूरभाष नंबर सहित उनका नाम भेज दें। मंत्रालय अथवा संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और उनके अतिथियों को निमंत्रण-पत्र जारी करने के लिए सभी अनुरोध उस नोडल अधिकारी के माध्यम से भेजे जाएं। मंत्रालय, संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय,


जारी.....

-3-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदी में कार्यरत सभी अधिकारियों को तदनुसार उपयुक्त रूप से पत्र भेजे जाएं। मंत्रालय, संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदी से संबंधित सभी निमंत्रण पत्र नोडल अधिकारी को सौंपे जाएंगे।

8. अधिक जानकारी के लिए रक्षा (समारोह), रक्षा मंत्रालय से दृर्भाष संख्या 23012904 या 23016547 पर संपर्क करें।

भवदीय,



(उपमन्यु खट्वा)

संयुक्त सचिव भारत सरकार

दूर भाष : 2301 8201

प्रति प्रेषित:-

रक्षा(स्थापना.।/ग्रुप.।)	: रक्षा उत्पादन विभाग सहित रक्षा मंत्रालय सचिवालय के अधिकारियों संबंधित आवश्यक कार्यवाई हेतु।
रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)	: रक्षा वित्त प्रभाग के अधिकारियों के संबंध में।
मुख्य प्रशासन अधिकारी (समन्वय)	: दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सैन्य मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के सिविलियन अधिकारियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाई हेतु।
सशस्त्र बल अधिकरण	: दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों से संबंधित आवश्यक कार्यवाई हेतु।
सेना मुख्यालय/एजी(सी डब्ल्यू-।)	: दिल्ली/नई दिल्ली स्थित निम्न विरचनाओं के सेना अफसरों के संबंधित आवश्यक कार्यवाई हेतु।
नौसेना मुख्यालय(डीडीपीएस (समारोह)	
वायु सेना मुख्यालय/ओर्ग(समारोह)	
मुख्यालय आई डी एस	: इस संगठन में कार्यरत सेना/सिविलियन अधिकारियों के संबंध में।
अनुसंधान एवं विकास संगठन/पी & सी निदेशालय	: इस संगठन में कार्यरत सेना/सिविलियन अधिकारियों के संबंध में।

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित :

जनसंपर्क निदेशालय (रक्षा)	महा निदेशक(तटरक्षक), नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली।	महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	विदेशी भाषा विद्यालय
राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज	राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय	डी जी (डी एल एण्ड सी)
जे बी सी	केंद्रीय सैनिक बोर्ड	इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय
रक्षा योजना स्टाफ	आई डी एस ए	रक्षा संपन्ना निदेशालय
ए एफ एफ पी डी	मुख्य सुरक्षा कार्यालय	सी जी डी ए
रक्षा प्रदर्शनी संगठन	योजना एवं समन्वय निदेशालय	रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान
पुनर्वास महानिदेशालय	रडार एवं संचार परियोजना कार्यालय	विशेष कार्य अधिकारी (निमंत्रण)

प्रपत्र
(अवर सचिव तथा उससे उच्च अधिकारियों के संबंध में)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत करें)

नम्रता / विभाग

कार्यालय का पूरा पता एवं स्थान

कार्यालय

पदनाम	नाम	इस ग्रेड में निरंतर नियुक्ति की तारीख (*)एकम टेबल ओफ प्रेसिडेंस में स्थान (अनुछेद नं.)	संयोजित वेतन बैंड	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	तैनाति के स्थान सहित कार्यालय का पता	विवाहित / अविवाहित	आवासीय पता
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(*) यह केवल भारत सरकार के अवर सचिव तथा उनके समकक्ष, इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के संबंध में अपेक्षित है। ऐसे सभी व्यक्तियों के संबंध में जानकारी अर्थात् उनका नाम, पदनाम, वेतन, टेबल ओफ प्रेसिडेंस में आने की तिथि तथा अनुछेद संख्या गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग) को भी भेजी जाए जिस से वे 'टेबल ओफ प्रेसिडेंस' में वरियता / अनुछेद के अनुसार सत्यापित लिस्ट बनाकर रक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कर सकें।

सूची भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

दूरभाष नं:

(कार्यालय) (आवास)



परिशिष्ट 'ख'

(दिल्ली स्थित सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत करें)

कार्यालय

कार्यालय का पता पत्र एवं पता

नाम	पदनाम	संयोजित वेतन बैंड	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	अधिकारी का स्तर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकारियों की तुलना में किस पद के समान है।	तैनाती के स्थान सहित कार्यालय का पता	विवाहित / अविवाहित	आवासीय पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

सूची में देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

दूरभाष सं:

(कार्यालय)

(आवास)

प्रपत्र

इसमें / समितियों के अध्यक्ष, सदस्य तथा अधिकारियों के संबंध में
(चार प्रतियों में प्रस्तुत करें)

आयोग / समिति

सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य

नाम	पदनाम	इस प्रोड में निर्धारित नियुक्ति की तारीख (*)	संशोधन वेतन बैंड	वेतन बैंड में वेतन	प्रोड वेतन	अधिकारी का स्तर, संवर्धित प्रशासनिक मंत्रालयों में अधिकारियों की गुलाना में किस पद के समान है।	क्या, पूर्वनामसूचि में उल्लेखित है।	तैनाती के स्थान सहित कार्यालय का पता	विवाहित / अविवाहित	आवासीय पता
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

टिप्पणी : यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय पूर्वनाम सूची में किसी एक पर रहा हो तो कॉलम (9) में उसके द्वारा धारित एक व एक धारण की अवधि सहित उम्मीदवार बताएं।

(*) यह केवल भारत सरकार के अपर सचिव तथा उनके समकक्ष, इससे ऊपर के एक के अधिकारियों के संबंध में अपेक्षित है।

"प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम (8) में उल्लिखित अधिकारियों का स्तर सही है।"

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के उप सचिव के

हस्ताक्षर व मुहर.....

दूरभाष सं:

सूची में देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....

पदनाम.....

दूरभाष सं:

(कार्यालय)

(आवास)

परिशिष्ट 'ग'



प्रपत्र
(स्टाफ काउंसिल के अध्यक्ष / सदस्यों के संबंध में)
(चर प्रतियों में प्रस्तुत करें)

मंत्रालय / विभाग

कार्यालय का पूरा पता एवं स्थान

नाम व पद	स्टाफ काउंसिल में धीन पद	विवाहित / अविवाहित	आवासीय पता
(1)	(2)	(3)	(4)

सूची अप्रोक्षित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नामा (स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

दस्तावेज सं:

(कार्यालय)

(आवास)